छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
----000----

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27 जुलाई, 2023

क्रमांक एफ 20-36/2022/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका 15.13, 15.21 एवं परिशिष्ट क्रमांक 6.19 के प्रावधानों के अंतर्गत समय-समय पर विभिन्न उद्योगों, सेक्टर हेतु अधिसूचित विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के क्रियान्वयन हेतु **"विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज क्रियान्वयन नियम-2019"** लागू करता है।

यह नियम दिनांक 01 नवंबर, 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 तक की कालावधि के लिए लागू होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(भुवनेश यादव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. 20-36/2022/11/(6) नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 जुलाई, 2023
प्रतिलिपि :-

1. **विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,** माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, ...विभाग मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. **संचालक,** उद्योग संचालनालय, भूतल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर, (छत्तीसगढ़)
4. **प्रबंध संचालक,** सी.एस.आई.डी.सी. प्रथम तल, उद्योग भवन,तेलीबांधा, रायपुर
5. **अपर संचालक,** राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, उद्योग भवन, रायपुर
6. **नियंत्रक,** शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।
7. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,

::अधिसूचना::

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27 जुलाई, 2023

क्रमांक/ एफ 20–01/2019/11/6 राज्य शासन एतद् द्वारा "औद्योगिक नीति 2019–24" के अंतर्गत वर्णित कंडिका 15.13, 15.21 एवं परिशिष्ट 6.19 के अंतर्गत एवं नीति के विभिन्न प्रावधानों के अनुसरण में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से राज्य में वृहद, मेगा, अल्ट्रामेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए समय–समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के द्वारा घोषित विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के क्रियान्वयन तथा Be-Spoke Policy पैकेज को लागू किये जाने हेतु **"विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज क्रियान्वयन नियम–2019"** लागू करता है :–

(1) राज्य शासन द्वारा घोषित "औद्योगिक नीति 2019–24" के अंतर्गत शामिल निम्नलिखित अनुदान/छूट/रियायतों की मदें विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज में शासन द्वारा अधिसूचित किये जाने के आधार पर पात्रतानुसार स्वीकृति योग्य होंगी :–

(1.1) औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत प्रावधानित अनुदान/छूट/रियायतें –

- (1) ब्याज अनुदान
- (2) स्थायी पूंजी लागत अनुदान
- (3) नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति
- (4) विद्युत शुल्क छूट
- (5) स्टाम्प शुल्क से छूट
- (6) मंडी शुल्क से छूट
- (7) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान
- (8) भू–उपयोग में परिवर्तन शुल्क में छूट
- (9) औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर (भूमि बैंक) भू–आबंटन सेवा शुल्क में रियायत
- (10) अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायत
- (11) गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान
- (12) तकनीकी पेटेन्ट अनुदान
- (13) प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान
- (14) मार्जिन मनी अनुदान
- (15) औद्योगिक पुरस्कार योजना
- (16) दिव्यांग(निःशक्त) रोजगार अनुदान
- (17) इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान)
- (18) परिवहन अनुदान (केवल निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु)

(1.2) "औद्योगिक नीति 2019–24" में प्रावधानित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के अतिरिक्त निम्नांकित अनुदान/छूट/रियायतें के शासन द्वारा अधिसूचित किये जाने आधार पर स्वीकृति योग्य होंगी –

(1) जल शुल्क व्यय प्रतिपूर्ति
(2) खनिज रायल्टी की राशि प्रतिपूर्ति
(3) विद्युत दर में छूट
(4) पीएफ/ पीपीएफ/ ईएसआईसी भुगतान की आंशिक प्रतिपूर्ति
(5) एम.ओ.यू निष्पादित इकाई द्वारा आवेदन किए जाने पर शासन की स्वीकृति से Bespoke नीति के अंर्तगत देय अन्य अनुदान/छूट/रियायत

(1.3) उपरोक्त के अतिरिक्त "औद्योगिक नीति 2019–24" के अंतर्गत मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित अन्य आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के मद।

(2) विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न उद्योगों के पक्ष में जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से स्वीकृत "विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज" के क्रियान्वयन के संबंध में **"विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज क्रियान्वयन नियम–2019"** के अंतर्गत इकाई द्वारा प्रस्तुत दावों को निर्धारित पात्रतानुसार अनुदान/छूट/रियायतों के प्रकरणों को निम्नांकित समिति द्वारा परीक्षणोंपरांत स्वीकृति प्रदान की जायेगी :–

(2.1) राज्य स्तरीय विशेष निवेश प्रोत्साहन समिति निम्नानुसार होगी :–

क्र.	**पदनाम**	
1	उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग	**अध्यक्ष**
2	वित्त विभाग के प्रतिनिधि	
3	प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी.	**सदस्य**
4	अपर संचालक, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड	**सदस्य**
5	आयुक्त, राज्य कर विभाग (जीएसटी) के प्रतिनिधि	**सदस्य**
6	संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के प्रतिनिधि	**सदस्य**
7	जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि के प्रतिनिधि	**सदस्य**
8	ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि के प्रतिनिधि	**सदस्य**
9	अपर संचालक, उद्योग संचालनालय	**सदस्य सचिव**
10	आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्रित	**सदस्य**

(2.2) राज्य स्तरीय विशेष निवेश प्रोत्साहन समिति के लिये गणपूर्ति 6 सदस्यों से होगी।

(2.3) योजना के क्रियान्वयन हेतु सदस्य सचिव के दायित्व निम्नानुसार होंगे :–

(2.3.1) योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र को 30 दिवस में समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(2.3.2) स्वत्वों को प्राप्त कराना/ संकलन कराना/परीक्षण की कार्यवाही कराना/ वांछित अतिरिक्त जानकारियां प्राप्त करना।

(2.3.3) प्रकरणों को निर्णय हेतु राज्य स्तरीय विशेष निवेश प्रोत्साहन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना तथा समिति के निर्देशों के अनुरूप प्रकरण पर आगामी कार्यवाहियां पूर्ण कराना।

(2.3.4) योजना के क्रियान्वयन हेतु बैठक का एजेन्डा तैयार करना, यथा आवश्यकता बैठक का आयोजन कराना, कार्यवाही विवरण तैयार कर अनुमोदन कराना व सदस्यों को प्रेषित करना।

(2.3.5) योजना से सबंधित लेखों का संधारण, राज्य शासन के वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना व स्वत्वों के भुगतान के सबंध में ऑडिट आपत्तियों का निराकरण करना एवं अन्य सभी प्रशासकीय दायित्व पूर्ण कराना।

(2.3.6) समिति की बैठकों/ निर्णयों की जानकारी आवेदक इकाईयों तथा आवश्यकतानुसार अन्य सभी पक्षों को उपलब्ध कराना।

(2.3.7) सदस्य सचिव का यह भी दायित्व होगा कि वह राज्य स्तरीय विशेष निवेश प्रोत्साहन समिति के समक्ष समिति की बैठक की निर्धारित तिथि के 15 दिवस पूर्व तक के समस्त प्रकरणों को पंजीयन क्रमांकवार राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखें, प्रकरणों का निराकरण करायें एवं निराकरण की स्थिति से औद्योगिक इकाईयों को अवगत करायें।

(2.3.8) राज्य स्तरीय विशेष निवेश प्रोत्साहन समिति से अनुदान स्वीकृति के निर्णय उपरांत निर्धारित अवधि में अनुदान स्वीकृति पत्र जारी करें, आवश्यकतानुसार अनुबंध निष्पादन करे एवं मूल अनुबंध की पंजीकृत प्रति प्राप्त होने के उपरांत स्वीकृति आदेश जारी करें।

(2.3.9) प्रकरणों का निराकरण ''प्रथम आओ–प्रथम पाओ'' पद्धति में समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। समिति से स्वीकृत प्रकरणों में निराकरण के क्रमानुसार शासन से प्राप्त बजट आबंटन अनुसार अनुदान राशि का वितरण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही इस प्रकार करे कि बजट आबंटन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार अनुदान का वितरण यथा शीघ्र हो सके।

(2.4) **योजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य स्तरीय विशेष निवेश प्रोत्साहन समिति को निम्नानुसार शक्तियां प्राप्त होगी :–**

(2.4.1) प्रस्तुत आवेदनों/प्रतिवेदनों का परीक्षण कर अधिसूचना के अधीन अनुदान स्वीकृति प्रदान करना।

(2.4.2) किसी प्रकरण विशेष में जारी स्वीकृति आदेश को निरस्त करने अथवा अनुदान राशि में कमी करने की शक्ति प्राप्त होगी किंतु ऐसे प्रकरण में संबंधित पक्षकार को अपना पक्ष रखने के लिये सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक होगा।

(2.4.3) इकाईयों के द्वारा विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने में हुए 06 माह तक के विलंब को शिथिल करने के प्रकरणों का निराकरण **राज्य स्तरीय विशेष निवेश प्रोत्साहन समिति** द्वारा गुण–दोष के आधार पर किया जायेगा।

(3) **विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत प्राप्त अनुदान/छूट/रियायतों के वितरण की प्रक्रिया :–**

(3.1) अनुदान/छूट/रियायतों की गणना संबंधित इकाई के पक्ष में स्वीकृत/अधिसूचित Be-spoke पैकेज में दिये गये विवरण अनुसार की जावेगी ।

(3.2) विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत अनुदान/छूट/रियायत प्राप्त करने के लिए इकाई को अपना प्रथम क्लेम/दावा (उत्पादन दिनांक तक का तथा उत्पादन दिनांक से आवेदन दिनांक तक का) उत्पादन दिनांक से एक वर्ष के भीतर उद्योग संचालनालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(3.3) 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक की जानकारी सह अनुदान/छूट/रियायतों हेतु आवेदन उसी वर्ष के अक्टूबर माह में तथा 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक की जानकारी सह अनुदान/छूट/रियायत हेतु आवेदन उसी वर्ष के अप्रैल माह में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

उदाहरणरार्थ :– किसी इकाई द्वारा दिनांक 10 दिसंबर 2022 को उत्पादन प्रारंभ किया जाता है तो उसे प्रथम क्लेम हेतु आवेदन 31 मार्च 2023 तक की स्थिति में अप्रैल 2023 में तथा उसके बाद अक्टूबर 2023 में प्रस्तुत किया जाएगा एवं आगामी जानकारी सह अनुदान/छूट/रियायत आवेदन अर्द्धवार्षिकी आधार पर उसी वर्ष के अप्रैल/ अक्टूबर माह में प्रस्तुत किया जाएगा।

(3.4) इकाई का यह दायित्व होगा कि अर्द्धवार्षिकी आधार पर अनुदान/ छूट/रियायत के मदों में स्वीकृति/आदेश अनुसार/ वार्षिक सीमा के अनुरुप जानकारी निर्धारित प्रारुप में उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(3.5) अनुदान का वितरण अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जायेगा।

(3.6) कोई भी क्लेम/दावा उद्योग के उत्पादनरत अवधि के संबंध में ही देय होगा। किसी वित्तीय वर्ष में अनुदान/छूट/रियायत का आंशिक वितरण होने पर आगामी वर्षों में उद्योग में उत्पादन बंद कर देने पर या अनुबंध की किसी कंडिका का उल्लंघन करने पर अनुदान/छूट/रियायत का शेष वितरण तब तक नहीं किया जावेगा जब तक की उद्योग प्रारंभ न हो जावे / कंडिका का उल्लंघन दूर न कर लिया जावे।

4. <u>अनुदान/छूट/रियायत की वसूली</u> :–

अनुदान/छूट/रियायत की राशि निम्न परिस्थितियों में वसूली योग्य होगी–

(4.1) औद्योगिक इकाई के पक्ष में अनुदान/छूट/रियायत की स्वीकृत राशि भुगतान हो जाने के पश्चात् यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है/ अपूर्ण/ गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान स्वीकृत हुआ है/अनुदान प्राप्त किया गया है। यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की त्रुटिवश प्राप्ति हो गयी हो ।

(4.2) औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात् यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका क्रमांक 15.18 में उल्लेखित प्रतिशत (न्यूनतम सीमा) से कम हो जाता है ।

(4.3) शासन/उद्योग संचालनालय द्वारा अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये । प्रति वर्ष स्वप्रमाणित उत्पादन व विक्रय संबंधी जानकारी उद्योग संचालनालय को न दिया जावे ।

(4.4) उपर्युक्त बिन्दु 4.1 से 4.5 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/ अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश समिति की ओर से सदस्य सचिव द्वारा जारी किये जायेंगे। ऐसे आदेश के अनुसार वसूली योग्य राशि पर, 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी अधिरोपित कर वसूली की जायेगी ।

(4.5) इन नियमों मे अंतर्गत **"विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज"** प्राप्त करने वाली इकाई के द्वारा पैकेज प्राप्ति हेतु विभाग द्वारा लागू प्रपत्र पर अनुबंध निष्पादन किया जायेगा। इस निष्पादित अनुबंध को छत्तीसगढ़ शासन के स्थानीय पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक के कार्यालय में पंजीकृत कराया जाना आवश्यक होगा। अनुबंध पंजीकृत होने के उपरांत ही अनुदान पैकेज में सम्मिलित नकद अनुदान वितरण योग्य होंगे। किन्तु इस अनुबंध की परिधि में नकद वितरित अनुदान के अतिरिक्त अन्य दिये गये एवं पैकेज में सम्मिलित छूट अनुदान एवं रियायतें भी सम्मिलित मानी जायेंगी। वसूली योग्य राशि की वसूली अनुबंध में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये भू-राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य की जा सकेगी ।

5. अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :-

(5.1) औद्योगिक इकाई को अनुदान अवधि एवं इसके पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग उत्पादनरत रखना होगा ।

(5.2) जिन औद्योगिक इकाईयों ने अनुदान प्राप्त किया है, उन्हें उद्योग संचालनालय को अनुदान प्राप्त होने के अंतिम वर्ष के उपरांत 5 वर्ष तक स्वप्रमाणित उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होंगे। यह जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 माह के भीतर देनी होगी ।

(5.3) अनुदान/छूट/रियायत अवधि में तथा इसके उपरांत पांच वर्ष तक आयुक्त/ संचालक उद्योग, छत्तीसगढ़ की लिखित पूर्वानुमति के बिना निम्नानुसार गतिविधि किया जाना निषिद्व होगा :-

(अ) इकाई के फैक्ट्री स्थल में कोई परिवर्तन।

(ब) फैक्ट्री का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरण।

(स) इकाई अथवा इसके किसी भाग का स्वामित्व परिवर्तन।

(द) फैक्ट्री के स्थायी परिसम्पतियों में नियमित रखरखाव/संर्वधन के अतिरिक्त कोई परिर्वतन।

(5.4) अनुदान अवधि तथा इसके उपरांत पांच वर्षों तक औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक 15.18 में उल्लेखित प्रतिशत अनुसार अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में राज्य के निवासियों हेतु रोजगार दिया जाना आवश्यक होगा ।

6. अपील / वाद :–

(6.1) औद्योगिक इकाईयों द्वारा "राज्य स्तरीय विशेष निवेश प्रोत्साहन समिति" के किसी आदेश के विरूद्व ऐसे आदेश के संसूचित किये जाने की दिनांक से 30 दिवस के भीतर शासन स्तर **"राज्य स्तरीय विशेष निवेश प्रोत्साहन अपीलीय फोरम"** के समक्ष अपील की जा सकेगी।

(6.2) **"राज्य स्तरीय विशेष निवेश प्रोत्साहन अपीलीय फोरम"** को यह अधिकार होगा कि वह अपील के बिंदुओं तथा अपील किये जाने में यदि कोई विलंब हो तो उसे शिथिल करने के संबंध में गुण–दोष के आधार पर निर्णय ले सकेगा, यथा आवश्यकता "राज्य स्तरीय विशेष निवेश प्रोत्साहन समिति" को मार्गदर्शन तथा निर्देश दे सकेगा।

(6.3) **"विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज क्रियान्वयन नियम–2019"** अंतर्गत अनुदान/छूट/रियायत के प्रकरणों में प्राप्त अपीलीय प्रकरणों के निराकरण हेतु **"राज्य स्तरीय विशेष निवेश प्रोत्साहन अपीलीय फोरम"** का गठन निम्नानुसार होगा :–

1	माननीय भारसाधक मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	**अध्यक्ष**
2	माननीय भारसाधक मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग	**सदस्य**
3	भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग	**सदस्य**
4	भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग	**सदस्य**
5	भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग	**सदस्य**
6	भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग	**सदस्य**
7	भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग	**सदस्य**
8	भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग	**सदस्य**
9	भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	**सदस्य सचिव**

(6.4) "राज्य स्तरीय विशेष निवेश प्रोत्साहन अपीलीय फोरम" के लिये गणपूर्ति 6 (छः) सदस्यों से होगी।

(6.4) "राज्य स्तरीय विशेष निवेश प्रोत्साहन अपीलीय फोरम" के सदस्य सचिव के दायित्व निम्नानुसार होंगे :–

(6.4.1) अपीलीय फोरम हेतु प्राप्त आवेदनों/स्वत्वों का संकलन कराना/ परीक्षण की कार्यवाही कराना/ वांछित अतिरिक्त जानकारियां प्राप्त करना, प्रकरणों को निर्णय हेतु राज्य स्तरीय विशेष निवेश प्रोत्साहन अपीलीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत कराना तथा समिति के निर्देशों के अनुरूप प्रकरण पर आगामी कार्यवाहियां पूर्ण कराना।

(6.4.2) अपीलीय फोरम हेतु बैठक का एजेन्डा तैयार करना, बैठक का आयोजन करना, कार्यवाही विवरण तैयार कर अनुमोदन कराना व सदस्यों को प्रेषित करना।

(6.4.3) अपीलीय फोरम से सबंधित अन्य सभी प्रशासकीय दायित्व पूर्ण कराना।

(6.4.4) अपीलीय फोरम की बैठकों/ निर्णयों की जानकारी अग्रेषित करना।

(6.4.5) सदस्य सचिव का यह भी दायित्व होगा कि अपीलीय फोरम की बैठक की निर्धारित तिथि के 15 दिवस पूर्व तक के समस्त प्रकरणों को पंजीयन क्रमांक वार राज्य स्तरीय विशेष निवेश प्रोत्साहन अपीलीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

(6.5) राज्य स्तरीय विशेष निवेश प्रोत्साहन अपीलीय फोरम के समक्ष अपील आवेदन हेतु राशि रूपये 2000/- (यथा लागू अतिरिक्त कर) अपील शुल्क का भुगतान विभागीय प्राप्ति शीर्ष में चालान के माध्यम से करने पर ही अपील ग्राह्य होगी।

(6.6) राज्य स्तरीय विशेष निवेश प्रोत्साहन अपीलीय फोरम द्वारा तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का न्यूनतम एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

(6.7) प्रकरण पर राज्य स्तरीय विशेष निवेश प्रोत्साहन अपीलीय फोरम द्वारा लिये गये निर्णय की संसूचना सदस्य सचिव, अपीलीय फोरम द्वारा संबंधितों को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावेगी।

7. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु यथा-आवश्यकता नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

8. **योजना का क्रियान्वयन :-**

योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं उद्योग संचालनालय द्वारा किया जावेगा ।

9 उपरोक्त अधिसूचना को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा यू. ओ. नोट/ कम्प्यूटर क्र 2022-11-00137 दिनांक 26/04/2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(भुवनेश यादव)
सचिव
छत्तीसगढ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

''उपाबंध–1''

औद्योगिक नीति 2019–24 के अंर्तगत ''Be-spoke policy'' के तहत् एम.ओ.यू. निष्पादित इकाईयों द्वारा अनुदान/छूट/रियायत हेतु आवेदन पत्र

(आवेदन पत्र के समस्त बिन्दुओं की पूर्ति की जावे, कोई बिन्दु रिक्त न रहें)

क्र.	मद		विवरण
1	औद्योगिक इकाई का नाम व पता		
2	औद्योगिक इकाई का संगठन		
3	औद्योगिक इकाई का स्वरूप		नवीन / विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन
4	औद्योगिक इकाई का फैक्ट्री स्थल		
	1	स्थान	
	2	विकास खण्ड	
	3	विधानसभा क्षेत्र एवं क्रमांक	
	4	जिला	
	5	नीति के अनुसार औद्योगिक दृष्टि से विकासखंड का वर्गीकरण	विकसित/विकासशील/पिछड़े/अति पिछड़े क्षेत्र
5	**पंजीयन का विवरण**		
	क्र.	**मद**	**प्रमाण पत्र क्र. / दिनांक**
	1	एम.ओ.यू./उद्यम आकांक्षा/आशय पत्र /औद्योगिक लायसेंस/आई0ई0एम0	
	2	उद्योग आधार/ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र	
	3	वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन	
	4	पर्यावरण सम्मति विवरण	
		(अ) वायु सम्मति	
		(ब) जल सम्मति	

		(स) स्थापना सम्मति	
		(द) उत्पादन / कार्यारंभ सम्मति	
	5	कनेक्टेड विद्युत भार व विद्युत कनेक्शन प्रदाय दिनांक	
6	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक		
	उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक / दिनांक जारीकर्त्ता कार्यालय		
7	उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा व मूल्य)		
8			

9– योजना / सकल पूंजीगत लागत (राशि लाखों में)

क्र0	प्रोजेक्ट रिर्पोट के अनुसार सकल पूंजीगत लागत	दिनांक 01.11.2019 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक .... तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश (रूपयों में)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् स्थायी पूंजी निवेश की गणना हेतु निर्धारित अवधि .... तक अर्थात दिनांक .... तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश (रूपयों में)
(1)	**भूमि मद में निवेश**		
1.1	भूमि – (भूमि का रकबा ....)		
	अ– वास्तविक क्रय मूल्य / प्रीमियम /		
	ब– मुद्रांक शुल्क		
	स– पंजीयन शुल्क		
1.2	भूमि विकास व्यय		
	योग–		
(2)	**शेड–भवन मद में निवेश का विवरण –**		

(3)	**संयंत्र एवं मशीनरी (लीज पर मशीनरी सहित) मद में व्यय**			
	1	संयंत्र एवं मशीनरी का मूल्य		
	2	प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयत्र एवं उपकरण		
	3	अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरण		
	4	परीक्षण उपकरण		
	5	स्थापना संबंधी व्यय		
		योग		
(4)	**विद्युत आपूर्ति निवेश**			
	अ– छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल/विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)			
	ब– केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश			
		योग		
(5)	**जल आपूर्ति निवेश –** औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)			
		योग–		
		महायोग–		

10	**योजना/सकल पूंजीगत लागत के स्त्रोत–**			
	1	स्वयं के स्त्रोत		
	2	अंश पूंजी		
	3	ऋण		
		अ– वित्तीय संस्थाओं से ऋण		
		ब– बैंकों से ऋण		
		योग		

11– अ– रोजगार (नवीन उद्योगों के प्रकरणों में)–

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
अकुशल वर्ग				
कुशल वर्ग				
प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग				
योग				

ब– विद्यमान औद्योगिक इकाई / सेवा उद्यम में रोजगार

(विस्तार, प्रतिस्थापन एवं शवलीकरण हेतु)

श्रम वर्ग	विद्यमान औद्योगिक इकाई के रूप में दिया गया रोजगार (विद्यमान औद्योगिक इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक तक)			विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार/ शवलीकरण हेतु दिया गया अतिरिक्त रोजगार			विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार/ शवलीकरण के पश्चात् दिया गया कुल रोजगार			विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार/ शवलीकरण के उपरांत प्रदत्त रोजगार में हुई वृद्धि	
	राज्य के मूल निवासी	राज्य के बाहर	कुल	राज्य के मूल निवासी	राज्य के बाहर	कुल	राज्य के मूल निवासी	राज्य के बाहर	कुल	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अकुशल वर्ग											
कुशल वर्ग											
प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग											
योग											

12	अन्य विवरण	
	आवेदन विलंब से प्रस्तुत करने का कारण (यदि लागू हो)	

13	संलग्न दस्तावेजों की सूची–	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

स्थान		अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर	
		नम	
		पद	
दिनांक		औद्योगिक इकाई का नाम व पता	

''उपाबंध–2''

औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत ''Be-spoke policy'' के तहत् एम.ओ.यू. निष्पादित इकाईयों द्वारा अनुदान/छूट/रियायत हेतु वार्षिक सीमा निर्धारण हेतु आवेदन पत्र

(''प्रथम आवेदन हेतु केवल ''उपाबंध–1'' तथा तत्पश्चात् प्रत्येक अनुदान हेतु ''उपाबंध–1'' एवं ''उपाबंध–2'' में जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।)

क्र.	मद	विवरण
1	कनेक्टेड विद्युत भार व विद्युत कनेक्शन प्रदाय दिनांक	
2	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक	
3	राज्य सरकार को प्रदत्त वस्तु एवं सेवा कर	
4	राज्य सरकार को प्रदत्त जल कर	
5	राज्य सरकार को प्रदत्त विद्युत शुल्क	
6	राज्य सरकार को प्रदत्त रॉयल्टी	
7	अन्य मद	
	योग	

''उपाबंध–3''

//शपथ पत्र//

1– यह शपथपूर्वक घोषित किया जाता है कि :–

1.1 औद्योगिक नीति 2019–24 तथा Be-spoke policy की अधिसूचना का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन औद्योगिक इकाई द्वारा किया जावेगा ।

1.2 आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्व–प्रमाणी अभिलेख पूर्ण रूप से सही है

2– उद्योग में अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग में क्रमशः 100 प्रतिशत, 70 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत न्यूनतम रोजगार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अनुदान प्राप्ति दिनांक तक व अनुदान प्राप्ति के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षों तक राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा ।

3– भारत सरकार/राज्य शासन के किसी अन्य विभाग / निगम/ बोर्ड/ मंडल/ आयोग/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंक को स्थायी पूंजी निवेश से संबंधित अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान स्वीकृत है/वितरित है ।

या

भारत सरकार/ राज्य शासन के किसी अन्य विभाग / निगम/ बोर्ड/ मंडल/ आयोग/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंक को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान हेतु आवेदन किया है /अनुदान स्वीकृत है/वितरित है ।

4– उद्योग उत्पादनरत् व कार्यरत् है।

5– उद्योग पर लागू सभी विभागों से सम्मतियां ली गई है।

6– उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी शपथ का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वसूली मय 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि मय निर्धारित ब्याज के साथ 30 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी ।

<table>
<tr><td rowspan="3">स्थान</td><td rowspan="3"></td><td>अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर</td><td></td></tr>
<tr><td>नाम</td><td></td></tr>
<tr><td>पद</td><td></td></tr>
<tr><td>दिनांक</td><td></td><td>औद्योगिक इकाई का नाम व पता</td><td></td></tr>
</table>

"उपाबंध–04" (अ)

(अभिस्वीकृति)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़

मेसर्स .... पता.. द्वारा Be-spoke policy के अन्तर्गत पूर्ण आवेदन दिनांक..................... (अक्षरी)................................ .... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन क्रमांक .... है ।
(भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का उल्लेख करें)

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय की
सील

प्रति,

मेसर्स..
....
....

''उपाबंध–04'' (ब)

(अभिस्वीकृति)

उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़

मेसर्स .... पता.. द्वारा Be-spoke policy के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान राशि रू. .... बाबत पंजीकृत अनुबंध दिनांक .... की मूल प्रति आज दिनांक .... को प्राप्त हुई।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय की सील

प्रति,

मेसर्स..

....

....

''उपाबंध 5''

औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत ''Be-spoke policy'' के तहत् एम.ओ.यू. निष्पादित इकाईयों द्वारा अनुदान/छूट/रियायत हेतु

''इकाई का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप''

निरीक्षण अधिकारी का नाम एवं पदनाम...

सत्यापन दिनांक..

क्र.	मद			विवरण
1	औद्योगिक इकाई का नाम व पता			
2	औद्योगिक इकाई का संगठन			
3	औद्योगिक इकाई का स्वरूप			नवीन / विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन
4	औद्योगिक इकाई का फैक्ट्री स्थल			
	1	स्थान		
	2	विकास खण्ड		
	3	विधानसभा क्षेत्र एवं क्रमांक		
	4	जिला		
	5	नीति के अनुसार औद्योगिक दृष्टि से विकासखंड का वर्गीकरण		विकसित/विकासशील/पिछड़े/अति पिछड़े क्षेत्र
5	**पंजीयन का विवरण**			
	क्र.	**मद**		**प्रमाण पत्र क्र. / दिनांक**
	1	एम.ओ.यू./उद्यम आकांक्षा/आशय पत्र /औद्योगिक लायसेंस/आई0ई0एम0		
	2	उद्योग आधार/ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र		
	3	वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन		
	4	पर्यावरण सम्मति विवरण		

		(अ) स्थापना सम्मति	
		वायु सम्मति	
		जल सम्मति	
		(ब) उत्पादन/कार्यारंभ सम्मति	
		जल सम्मति	
		वायु सम्मति	
	5	कनेक्टेड विद्युत भार व विद्युत कनेक्शन प्रदाय दिनांक	
6	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक		
	उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक / दिनांक जारीकर्त्ता कार्यालय		
7	उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा व मूल्य)		
8	ले आऊट अनुमोदन विवरण		

9— योजना/सकल पूंजीगत लागत (राशि लाखों में)

क्र0	प्रोजेक्ट रिर्पोट के अनुसार सकल पूंजीगत लागत	दिनांक 01.11.2019 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक .... तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश (रूपयों में)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् स्थायी पूंजी निवेश की गणना हेतु निर्धारित अवधि .... तक अर्थात दिनांक .... तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश (रूपयों में)
(1)	**भूमि मद में निवेश**		
1.1	भूमि – (भूमि का रकबा ....)		
	अ– वास्तविक कय मूल्य /प्रीमियम/		
	ब– मुद्रांक शुल्क		

	स– पंजीयन शुल्क			
1.2	भूमि विकास व्यय			
		योग–		
(2)	शेड–भवन मद में निवेश का विवरण –			
(3)	**संयंत्र एवं मशीनरी (लीज पर मशीनरी सहित) मद में व्यय**			
	1	संयंत्र एवं मशीनरी का मूल्य		
	2	प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयत्र एवं उपकरण		
	3	अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरण		
	4	परीक्षण उपकरण		
	5	स्थापना संबंधी व्यय		
		योग		
(4)	विद्युत आपूर्ति निवेश			
	अ– छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल/विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)			
	ब– केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश			
		योग		
(5)	जल आपूर्ति निवेश – औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)			
		योग–		
		महायोग–		

(10) अ– रोजगार (नवीन उद्योगों के प्रकरणों में)

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
अकुशल वर्ग				
कुशल वर्ग				
प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग				
योग				

ब– विद्यमान औद्योगिक इकाई / सेवा उद्यम में रोजगार
(विस्तार, प्रतिस्थापन एवं शवलीकरण हेतु)

श्रम वर्ग	विद्यमान औद्योगिक इकाई के रूप में दिया गया रोजगार (विद्यमान औद्योगिक इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक तक)			विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार / शवलीकरण हेतु दिया गया अतिरिक्त रोजगार			विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार / शवलीकरण के पश्चात् दिया गया कुल रोजगार			विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार / शवलीकरण के उपरांत प्रदत्त रोजगार में हुई वृद्धि	
	राज्य के मूल निवासी	राज्य के बाहर	कुल	राज्य के मूल निवासी	राज्य के बाहर	कुल	राज्य के मूल निवासी	राज्य के बाहर	कुल	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अकुशल वर्ग											
कुशल वर्ग											
प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग											
योग											

(11)	सकल पूंजी निवेश संबंधी भौतिक स्थिति	
1	भूमि (आवंटित भूमि व औद्योगिक उपयोग में लाई गयी भूमि का विवरण)	
2	भूमि विकास (समतलीकरण, गहरीकरण व डेनेज निर्माण)	
3	शेड–भवन (निर्मित क्षेत्र का वर्गीकरण)	
4	प्लांट एवं मशीनरी (स्थापित है अथवा नही/मशीनरी चालू है अथवा नहीं)	
5	विद्युत आपूर्ति निवेश (विद्युत कनेक्शन की तिथि एवं अन्य बिन्दु)	
6	जल आपूर्ति निवेश (जल कनेक्शन की तिथि/अन्य बिन्दु)	

12	**विद्यमान औद्योगिक इकाईयों के विस्तार/शवलीकरण प्रकरणों में प्लांट एवं मशीनरी के निवेश में हुई वृद्धि व वृद्धि का प्रतिशत**	
13	**विद्यमान औद्योगिक इकाईयों के विस्तार/शवलीकरण प्रकरणों में रोजगार में हुई वृद्धि व वृद्धि का प्रतिशत**	
14	**विद्युत भार**	
15	**टीप/अभिमत/ अनुशंसा**	

स्थान दिनांक		निरीक्षण कर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर	
		नाम/ पदनाम	
निरीक्षणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा/ अभिमत एवं टीप पर मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक की अनुशंसा एवं अभिमत			

"उपाबंध–6"

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण–पत्र)
(लेटर हैड पर मूल प्रति में)

1– औद्योगिक इकाई .... जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री.................. में स्थित है, जिसका उद्यम आकांक्षा .... एवं उद्योग आधार/आई.ई.एम. क्रमांक ....एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक..............................दिनांक .... है व जिसके अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक .... है, में एम.ओ.यू./उद्यम आकांक्षा/आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस की तिथि .... से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक................................तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से ....अवधि तक निम्नानुसार रूपये.........................(अक्षरों में).. है, का स्थायी पूंजी निवेश निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है, यह प्रमाणन औद्योगिक इकाई के लेखा पुस्तको/बिल बाउचर/भुगतान से संबंधित अभिलेखों के मिलान के पश्चात् किया गया है:–

क्र		विवरण	दिनांक 01.11. 2019 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक... .... तक किया गया मान्य स्थायी पूंजी निवेश रूपयों में	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् स्थायी पूंजी निवेश की गणना हेतु निर्धारित अवधि . ... तक अर्थात दिनांक ... .तक किया गया मान्य स्थायी पूंजी निवेश रूपयों में	कुल निवेशित राशि (3+4)
(1)	**संयंत्र एवं मशीनरी (लीज पर मशीनरी सहित) मद में व्यय**				
	1	संयंत्र एवं मशीनरी का मूल्य			
	2	प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयंत्र एवं उपकरण			
	3	अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरण			
	4	परीक्षण उपकरण			
	5	स्थापना संबंधी व्यय			
		योग			

क्र	विवरण	दिनांक 01.11. 2019 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक... .... तक किया गया मान्य स्थायी पूंजी निवेश रूपयों में	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् स्थायी पूंजी निवेश की गणना हेतु निर्धारित अवधि . ... तक अर्थात दिनांक ... .तक किया गया मान्य स्थायी पूंजी निवेश रूपयों में	कुल निवेशित राशि (3+4)
(2)	**विद्युत आपूर्ति निवेश –**			
	अ– छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल/विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)			
	ब– केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश			
	योग			
(3)	**जल आपूर्ति निवेश –** औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)			
	योग–			
	महायोग–			

स्थान दिनांक		चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम, पता एवं हस्ताक्षर	
		सील	
		सदस्यता क्रमांक	

"उपाबंध–7"

(चार्टर्ड इंजीनियर / एप्रूव्ड वेल्यूवर का प्रमाण–पत्र)

(लेटर हैड पर)

1– औद्योगिक इकाई ....जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री.................. में स्थित है, जिसका उद्यम आकांक्षा क्र. .... उद्योग आधार क्रमांक/आई.ई.एम. ..../ वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक...................................... दिनांक .... है, ने दिनांक..........................तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत निम्नानुसार रूपये................................(अक्षरों में)........................... है का निवेश निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है, यह प्रमाणन वास्तविक माप/भौतिक सत्यापन के आधार पर किया गया है :–

क0	विवरण	मात्रा / साईज	दर	राशि
1.	2.	3.	4.	5.
(1)	**1.1 भूमि**			
	अ– भूमि का रकबा			
	ब– वास्तविक क्रय मूल्य /प्रीमियम/			
	स– मुद्रांक शुल्क			
	द– पंजीयन शुल्क			
(2)	**भूमि विकास –**			
(3)	शेड–भवन –			
	1 फैक्ट्री भवन			
	2 शेड			
	3 प्रयोगशाला भवन			
	4 अनुसंधान भवन			
	5 प्रशासकीय भवन			
	6 केन्टीन			
	7 श्रमिक विश्राम कक्ष			
	8 वाहन स्टैन्ड			
	9 सिक्यूरिटी पोस्ट			
	10 माल गोदाम			

	योग			
(4)	**अन्य सामाजिक / अधोसंरचना पर किया गया व्यय –** गेस्ट हाउस, पूजा घर, मंदिर, कर्मचारी आवास, आवासीय मकान, बाउन्ड्रीवाल भूमि विकास (भूमि का समतलीकरण, गहरीकरण, ड्रेनेज निर्माण व अन्य)			
	योग			
	महायोग			

स्थान दिनांक		चार्टर्ड इंजीनियर / एप्रूव्ड वेल्यूवर का नाम व पता एवं हस्ताक्षर	
		सील	
		सदस्यता क्रमांक	

"उपाबंध 8"

स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत निवेश की सूची का प्रारूप

शीर्ष – भूमि, शेड–भवन, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत आपूर्ति निवेश, जल आपूर्ति निवेश

क्र.	दिनांक	विक्रेता का नाम व पता	विवरण (जिस मद मे निवेश / व्यय किया गया है)	देयक क्रमांक / चालान क्रमांक	राशि

(1)			(2)		
आवेदक इकाई			चार्टर्ड एकाउण्टेंट		
स्थान	हस्ताक्षर		स्थान	हस्ताक्षर	
	नाम			नाम	
दिनांक–	पता		दिनांक–	पता	
				पंजीयन क्रमांक एवं सील	

निर्देश टीप :–

1– सूची तिथिवार व मदवार क्रम से होना चाहिये ।

2– सूची का प्रमाणन आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाये ।

3– निवेश /व्यय शीर्ष हेतु पृथक–पृथक सूची प्रस्तुत की जावे– जैसे भूमि, शेड भवन, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत आपूर्ति निवेश, जल आपूर्ति निवेश आदि

4– सूची का प्रत्येक पृष्ठ प्रमाणित व आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउण्टेट के हस्ताक्षर युक्त हो ।

"उपाबंध–9"

उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़

(औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत "Be-spoke policy" के तहत् एम.ओ.यू. निष्पादित इकाईयों द्वारा अनुदान/छूट/रियायत के संबंध में)

स्वीकृति आदेश

(छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. .... के अन्तर्गत)

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा अधिसूचित **विशेष निवेश प्रोत्साहन नियम** के नियम क्रमांक 1 (अ) के तहत् गठित समिति की ....बैठक दिनांक............ में दी गयी स्वीकृति व **विशेष निवेश प्रोत्साहन नियम की कंडिका 1 (द) में** प्राप्त अधिकारों के अधीन निम्नानुसार **अनुदान** के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है ।

1	औद्योगिक इकाई का नाम व पता	
2	पंजीयन क्रमांक	
3	उद्योग का स्वरूप (नवीन / विस्तार / शवलीकरण)	
4	उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता–	
5	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक	
6	औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल– (स्थान, विकास खंड व जिला)	
7	अनुमोदित स्थायी पूंजी निवेश	
8	स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)	

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष– .... के निम्नांकित बजट शीर्ष में विकलनीय होगी –

....

....

(3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा एवं कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्तीकरण योग्य होगा ।

अपर संचालक / संयुक्त संचालक उद्योग
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़